संख्या-3/3459/12-3-2014-100(10)/2014

प्रेषक

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 14 जनवरी, 2015**

विषय:- कृषकों को सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान की योजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्रांक-एस.एफ./900/जी-8/2014-15, दिनांक 12.11.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा समयक विचारोपरान्त बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के कृषकों को सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प की स्थापना पर अतिरिक्त अनुदान की राज्य सेक्टर की निम्न योजना के क्रियान्वयन के प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. <u>योजना का विवरण</u>

यह परियोजना एक नवोन्मुखी कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत सोलर पम्प की स्थापना से बिजली की बचत होती है साथ ही सोलर फोटोवोलटैईक पम्प के संचालन के लिए ईधन आदि का कोई आवर्ती व्यय भी नही होता है, परन्तु वर्तमान में इस संयत्र का मूल्य लघु एंव सीमान्त कृषको के लिए अधिक है। सोलर पम्प की स्थापना हेतु प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं के अनुक्रम में सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प 1800 वाट (2एचपी0) सरफेस पम्प, 3000 वाट (3एचपी0) समरसेबुल पम्प एवं 4800 वाट (5एचपी0) समरसेबुल क्षमता के सोलर फोटोवोल्टाईक इरीगेशन पम्प प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषको को देय होगे। भारत सरकार के नवीन एवं वैकल्पिक ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 1800 वाट (2 एच.पी.) सरफेस सोलर पम्प, 3000 वाट (3 एच.पी) सबमर्सिबल सोलर पम्प और 4800 वाट (5 एच.पी.) सबमर्सिबल पम्प पर 30% का अनुदान देय है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में आर.के.वी.वाई. योजना की गाइडलाइन में टॉपअप सब्सिडी/अतिरिक्त अनुदान की रोक के कारण अब 1800 वाट (2 एच.पी.) सरफेस सोलर पम्प एवं 3000 वाट (3 एच.पी.) सबमर्सिबल पम्प पर 45% का और 4800 वाट (5एच.पी.) सबमर्सिबल पम्प पर 20% का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

भारत सरकार द्वारा डी0सी0सोलर फोटोवोलटैईक पम्प हेतु निर्धारित बेंच मार्क दर रू0 190/वाट की दर से प्रति पम्प की लागत एवं अनुदान की दर निम्न प्रकार होगी :-

क्र0स0	क्षमता	अनुमानित मूल्य रू0लाख में 190 प्रति वाट की दर से	अनुदान लाख में			
			राज्यांश	केन्द्राश	कृषक अंश	योग
1	1800 वाट 2 एच0पी0 सरफेस सोलर फोटोवोलटैईक पम्प	3.42	1.539	1.026	0.855	3.42
2	3000 वाट 3 एच0पी0 समरसेबुल सोलर फोटोवोलटैईक पम्प	5.7	2.565	1.71	1.425	5.7
3	4800 वाट 5 एच0पी0 समरसेबुल सोलर फोटोवोलटैईक पम्प	9.12	1.82	2.736	4.56	9.12

2. <u>भौतिक लक्ष्य :-</u>

प्रदेश के कृषको में सोलर पम्प की बढ़ती लोकप्रियता/मांग के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं के अनुक्रम में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अवशेष वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2014-15 के लिए भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराये गये लक्ष्य के अनुरूप निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित है:-

क्र0	सोलर पम्प की क्षमता	यूनिट	2014-15
1	1800 वाट 2 एच0पी0 सरफेस सोलर पम्प	सं0	1350
2	3000 वाट 2 एच0पी0 समरसेबुल सोलर पम्प	सं0	3500
3	4800 वाट 5 एच0पी0 समरसेबुल सोलर पम्प	सं0	150
	योग		5000

वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 में सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य केन्द्र सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य/देय अनुदान पर निर्भर करेगा।

3. <u>वित्तीय लक्ष्य :-</u>

योजनान्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2014-15 में सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प की स्थापना हेतु केन्द्र द्वारा देय अनुदान एवं राज्य द्वारा देय अनुदान की धनराशि

http://shasanadesh.up.nic.in

का अनुमान निम्नवत है-

- 2014-15 में निर्धारित अनुदान-

क्र0स0	क्षमता	निर्धारित लक्ष्य	प्रति इकाई अनुमानित मूल्य रू0लाख में (190 रू0 प्रति वाट की दर से)	कुल अनुमानित मूल्य (रू0 लाख में)	अनुदान लाख में			
					राज्यांश	केन्द्राश	कृषक अंश	योग
1	1800 वाट 2 एच0पी0 सरफेस सोलर फोटोवोलटैईक पम्प	1350	3.42	4617	2077.65	1385.1	1154.25	4617
2	3000 वाट 3 एच0पी0 समरसेबुल सोलर फोटोवोलटैईक पम्प	3500	5.7	19950	8977.5	5985	4987.5	19950
3	4800 वाट 5 एच0पी0 समरसेबुल सोलर फोटोवोलटैईक पम्प	150	9.12	1368	273.60	410.4	684.00	1368
	योग	**5000**	-	**25935**	**11328.75**	**7780.5**	**6825.75**	**25935**

वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में भी उपरोक्त अनुदान पैटर्न पर ही सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना करायी जाएगी।

4. लाभार्थी का चयन :-

योजना मे लघु एवं सीमान्त कृषकों को चयनित किया जायेगा तथा उसमें भी ऐसे कृषकों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, जिनके पास सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न हो। लाभार्थी का चयन व अनुदान वितरण प्रक्रिया का निर्धारण शासन के द्वारा किया जायेगा। लघु एवं सीमान्त कृषकों की अनुपलब्धता होने पर 4800 वाट के सोलर इरीगेशन पम्प अन्य कृषकों को भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। 5 एच.पी./4800 वाट के सोलर इरीगेशन पम्पों की संख्या कुल पम्पों की संख्या के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

5. योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :-

परियोजनान्तर्गत स्थापित सोलर फोटोवोलटैईक पम्पों के शत प्रतिशत सत्यापन पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। स्थापित सोलर फोटोवोलटैईक पम्पों के न्यूनतम 10 प्रतिशत का सत्यापन मुख्यालय के अधिकारियो द्वारा किया जायेगा। योजना का मूल्यांकन 2 वर्षो के पश्चात थर्ड पार्टी से स्वतंत्र रूप से कराकर वस्तुस्थिति से वित्त विभाग एवं मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत कराये जाने की कार्यवाही विभाग द्वारा सम्पादित करायी जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं**0-3459(1)/12-3-2014-**तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) कृषि भवन, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सी. पी. सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in